

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

सेवा समाप्ति आदेश

प्रारूप-6 परिशिष्ट 'अ'

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

1. स्व. श्री जगदीश प्रसाद प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाघसरा आधुणा-सुजानगढ(चूरु) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्मतिथि 02.09.59 है, जिनका दिनांक-07.06.2016 को राज्य सेवा में रहते निधन हो गया है। अतः स्व. श्री जगदीश प्रसाद प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाघसरा आधुणा-सुजानगढ(चूरु)की सेवाएँ दिनांक 07.06.2016 से समाप्त की जाती है।
- 2- यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित स्व. श्री जगदीश प्रसाद प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाघसरा आधुणा-सुजानगढ(चूरु) विरुद्ध आज तक:-
 - 1- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 2-राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 3-कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)

आई.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक-

21/11

कमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2/जगदीश प्रसाद/से.स./16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर।
- 3- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, चूरु।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, चूरु।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग।
- 6- अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- 7- आश्रित स्व. श्री जगदीश प्रसाद प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आधुणा-सुजानगढ(चूरु)
- 8- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 9- निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर